न्यायालय उपखण्ड अधिकारी निवाई जिला टोंक

(जे.पी. बैरवा आर.ए.एस. उपखण्ड अधिकारी निवाई द्वारा अध्यासित)

प्रा0पत्र संख्या :—282/2019

निर्णय दिनांक:—27.09.2019

उनवान

शिवदयाल पुत्र कल्याणमल जाति बैरवा निवासी अजीतपुरा तहसील निवाई जिला टोंक

—प्रार्थी

बनाम

तहसीलदार निवाई

—अनावेदक

प्रा.पत्र अन्तर्गत 136 भू—राजस्व अधिनियम

उपस्थितः— श्री शिवदयाल बैरवा प्रार्थी

निर्णय

प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र के तथ्य संक्षिप्त मे निम्न प्रकार हैः—

यह कि वाके ग्राम अजीतपुरा की जमाबन्दी संवत् 2070—2073 के खाता सं. 133 में प्रार्थी का नाम शोदान पुत्र कल्याण जाति बैरवा सा. दहे खातेदार दर्ज रिकॉर्ड है। जिसे शिवदयाल उर्फ शोदान पुत्र कल्याण जाति बैरवा शुद्ध करवाने हेतु प्रार्थी ने प्रार्थना—पत्र पेश किया। जिसे मूल ही तहसीलदार निवाई को वास्ते रिपोर्ट प्रेषित किया गया। तहसीलदार निवाई की रिपोर्ट प्राप्त। रिपोर्ट प्राप्त होने पर अवलोकन किया जाकर प्रा.पत्र दर्ज रजिस्टर किया गया। प्रार्थी के दस्तावेजात आधार कार्ड, राशन कार्ड व सरपंच ग्रा.पं. के प्रमाण पत्र में प्रार्थी का नाम शिवदयाल बैरवा अंकित है। प्रार्थी स्वयं उपस्थित। प्रार्थी ने निवेदन किया कि वाके ग्राम अजीतपुरा की जमाबन्दी संवत् 2070—2073 के खाता सं. 133 में प्रार्थी का नाम शोदान पुत्र कल्याण जाति बैरवा सा. दहे खातेदार दर्ज रिकॉर्ड है। जिसे शिवदयाल उर्फ शोदान पुत्र कल्याण जाति बैरवा शुद्ध किया जाकर दर्ज राजस्व रिकॉर्ड किये जाने के आदेश तहसीलदार निवाई को दिये जावे।

प्रार्थी के निवेदन के आधार पर सम्पूर्ण पत्रावली का अवलोकन किया गया। प्रार्थी के दस्तावेजात आधार कार्ड, राशन कार्ड व सरपंच ग्रा.पं. के प्रमाण पत्र में प्रार्थी का नाम शिवदयाल बैरवा अंकित है। अतः प्रार्थी का प्रा.पत्र स्वीकार किया जाता है तथा तहसीलदार निवाई को आदेश दिया जाता है कि प्रार्थी की भूमि खाता संख्या 133 संवत् 2070—2073 वाके ग्राम अजीतपुरा में शोदान पुत्र कल्याण जाति बैरवा खातेदार के स्थान पर शोदान उर्फ शिवदयाल पुत्र कल्याण जाति बैरवा दर्ज राजस्व रिकॉर्ड करें।

यह निर्णय आज दिनांक 27.09.2019 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय मे सुनाया गया।

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी (निवाई) जिला टोंक

उपखण्ड अधिकारी निवाई (टोंक)

जे.पी. बैरवा

(आर.ए.एस.)

उपखण्ड अधिकारी निवाई

Scanned by CamScanner